न्याय आपके द्वार अभियान 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, परबतसर जिला नागौर राज0

बईजलास – श्री राजेन्द्रसिंह चांदावत आर.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या 9/2015

प्रार्थी –

1. कानीदेवी पुत्री लादूराम पत्नी रतनाराम जाति जाट निवासी चारणावास तहसील डेगाना जिला नागौर राज0
2. किशनीदेवी पुत्री लादूराम पत्नी परसाराम जाति जाट निवासी गींगालिया तहसील मकराना जिला नागौर राज0

बनाम

अप्रार्थी –

1. शिवनाथराम पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी कुराड़ा तहसील परबतसर।
2. रूपाराम पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी रतनास तहसील मकराना।
3. बिड़दाराम पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी रतनास तहसील मकराना।
4. पेमाराम पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी रतनास तहसील मकराना।
5. जवानाराम पुत्र रामरख जाति जाट निवासी बाजोली तहसील परबतसर।
6. भंवरीदेवी पत्नी भंवराराम जाति जाट निवासी कुराड़ा तहसील परबतसर।
7. गलकुड़ी पत्नी रूपाराम जाति जाट निवासी रतनास तहसील मकराना।
8. तहसीलदार परबतसर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक – 10.5.2017

–:: आदेश ::–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1 से 4 एक ही परिवार के सदस्य जो स्व0 लादूराम के वारिस है। राजस्व ग्राम कुराड़ा की राजस्व सीमा में खसरा नंबर 68 रकबा 2.81 हैक्टेयर, 69 रकबा 1.65 हैक्टेयर, 71 रकबा 2.26 हैक्टेयर, 72 रकबा 0.01 हैक्टैयर, 73 रकबा 3.32 हैक्टेयर स्थित है। खसरा नंबर 68 व 69 के पुराने खसरा नंबर 35 है तथा खसरा नंबर 71, 72, 73 के पुराने खसरा नंबर 37 है। खसरा नंबर 35 में प्रार्थीगण के दादा लादूराम का 2/3 हिस्सा था तथा खसरा नंबर 37 पूरा अकेले लादूराम की खातेदारी का खेत था। प्रार्थीगण लादूराम की पुत्रियां है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पिता लादूराम की मृत्यु होने पर अप्रार्थीगण ने राजस्व कर्मचारियों से

मिलावट कर नामान्तकरण अकेले अपने नाम करवा लिया जबकि हम पुत्रियों का उक्त भूमि में अप्रार्थीगण के साथ बराबर हक हिस्सा निहीत है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 प्रार्थीगण के हक–हकूकों से इन्कार कर रहे है व राजस्व रेकर्ड में हेराफेरी पर आमादा है जिससे राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति रखा जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण अपनी पैतृक जमीन का शांतिपूर्वक बिना किसी रोक–टोक के उपयोग–उपभोग कर रही है जिससे प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। अप्रार्थीगण इस अवैध नामान्तकरण की आड़ में उनके हक हिस्से की जमीन के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न करते है तो अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण की होगी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त जमीन में प्रार्थीगण के हक हिस्से की जमीन के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु जरिये अस्थायी निषेघाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे। उक्त जमीन के बैचान हस्तान्तरण आदि नहीं करने व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को वास्ते जवाबदेही जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 4, 5, 6, 8 के विरूद्व बावजूद सूचना हाजिर नहीं होने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 7 की ओर से अधिवक्ता अधिवक्ता ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण को प्रस्तुत प्रकरण में किसी प्रकार की सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थीगण लादूराम की पुत्रियां है जिन्होने लादूराम की मृत्यु के समय ही अपना हक हिस्सा मौखिक रूपसे छोड़ दिया था। प्रार्थीगण का उपरोक्त भूमि में कब्जा काश्त नहीं है तथा इनकी मौखिक सहमति के आधार पर ही उक्त विवादित भूमि में इनका नाम दर्ज नहीं किया गया है। प्रार्थीगण ने अपने भाईयों से सामाजिक रिति रिवाज निभाने की ऐवज में अपने अधिकारों का त्याग किया था। भूमि को अप्रार्थीगण ने मौके पर सहमति से बांट रखा है। अप्रार्थीगण 1 से 4 के अलावा उक्त खातेदारी की भूमि में स्व0 बुधाराम पुत्र लादूराम भी खातेदार काश्तकार था जिसने अपने हिस्से की भूमि में से भूमि का बैचान कर दिया । इसी प्रकार पेमाराम ने भी अपने हिस्से की भूमि में से भूमि का बैचान कर दिया है। अप्रार्थी संख्या 7 गलकुड़ी ने अपने हिस्से की भूमि जरिये रजिस्टड बैचान से खरीदा है। प्रार्थीगण ने लादूराम की मृत्यु के समय अपने हक हिस्से का त्याग करने से अब किसी प्रकार से खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी 2 व 3 ने कानीदेवी व किसनीदेवी के मायरा व पहरानी आदि में करीब 30 लाख रूपये खर्च किये है जिससे अब प्रार्थीगण किसी भी प्रकार के अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण के पक्ष में किसी भी प्रकार से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन नहीं है तथा प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होने वाली है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में रखा गया। उपस्थित पक्षों को सुना गया। प्रार्थीगण का कथन है कि विवादित भूमि स्व0 लादूराम की खातेदारी की भूमि रही है जिससे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत इसमें अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के साथ–साथ प्रार्थीगण का भी बराबर–बराबर हक हिस्सा बनता है जिसकी घोषणा करवाने की प्रार्थीगण अधिकारी है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत 2046 से 2049 की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें विवादित भूमि की खातेदारी लादूराम पुत्र उरजाराम के नाम दर्ज होना प्रमाणित होता हैं। लादूराम के फौतगी नामान्तकरण में खातेदारी अकेले पुत्रों के नाम दर्ज की गई है जबकि प्रार्थीगण लादूराम की पुत्रियां होने से लादूराम की खातेदारी की भूमि में लादूराम के पुत्रों के साथ–साथ पुत्रियों की खातेदारी भी दर्ज की जानी चाहिये थी। अप्रार्थीगण का यह कथन स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि प्रार्थीगण ने मौखिक रूपसे अपना हिस्सा त्याग कर दिया था। इस प्रकार प्रार्थीगण लादूराम की पुत्रियां होने से प्रार्थीगण को विवादित भूमि में अपने हिस्से की खातेदारी घोषित करवाने के पूर्ण अधिकार है जिससे प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। चूंकि खातेदारी अकेले अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है तथा अप्रार्थीगण के द्वारा भूमि को हस्तान्तरण कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण अपने अधिकारों से हमेशा के लिये महरूम हो जायेगी। ऐसा अप्रार्थीगण के जवाब से भी साबित होता है कि खातेदार रूपाराम व बुधाराम के द्वारा भूमि का बेचान किया गया है। इसी प्रकार अन्य खातेदारों के द्वारा भूमि का बैचान कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण अपने अधिकारों से हमेशा के लिये वंचित हो जायेगी तथा उन्हे अपूरणीय क्षति होगी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण का मामला मजबूत होने से तथा तीनों ही बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिय अस्थायी निषेधाज्ञा से वाद के निर्णय तक पाबन्द किया जाता है कि विवादित भूमि राजस्व ग्राम कुराड़ा के खसरा नंबर 68, 69, 71, 72, 73 में प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि में प्रार्थीगण के काश्त कब्जे में दखलन्दाजी नहीं करें तथा उक्त भूमि का बैचान, बक्षीस, हस्तान्तरण आदि नहीं करें एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी रहे।

आदेश आज दिनांक 10.05.2017 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर मजमे–आम में सुनाया गया।

(राजेन्द्रसिंह चांदावत)
उपखण्ड अधिकारी,
परबतसर (नागौर)